

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

क्रमांक F-A 3-46/2017/1/फोच [60]

भोपाल, दिनांक 30.06.2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 68 (सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 138) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, किसी माल का परिवहन करने वाले यान (कन्वैयेंस) के प्रभारी व्यक्ति द्वारा उक्त मालों के अभिवहन (मूवमेंट) अथवा ट्रांजिट स्टोरेज के दौरान साथ में लेकर चलने हेतु दस्तावेजों के रूप में उक्त माल से संबंधित परेषक अथवा परेषिती द्वारा जारी किए गए बीजक/कर बीजक या चालान तथा परिवहनकर्ता द्वारा जारी चालान या बिल्टी को विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.